





# भगवान जगन्नाथ प्रभु की घुरती रथ यात्रा निकाली गयी

समाजसेवियों ने खींची रस्ती

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। गुरुवार को समाजसेवी भानू प्रताप सिंह, आलोक कुमार दुबे, काली प्रसाद सिंह, संजीत यादव, स्वामी विमलेश कुमार, संतोष कुमार, जगन्नाथ साह, मेहुल दुबे, रोहन कुमार भगवान जगन्नाथ प्रभु की घुरती रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। इस दैरेगां सभी ने विष्णु सहस्रनाम का एक मंत्रोच्चार किया और भगवान की आरती की। इसके साथ ही सभी ने भगवान को भोग लगाया और भक्त जनों के बीच प्रसाद वितरित किया।

आलोक कुमार दुबे और भानू प्रताप सिंह ने पूजा अर्चना के बाद जगन्नाथ स्वामी से राज्य में



खुशहाली, अमन, तरकी और भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के अच्छी बारिश की कामना की। साथ आलोक दुबे, भानू प्रताप के साथ मौसी घर से मंदिर के लिए सिंह, काली प्रसाद सिंह, भरत पूजा-अर्चना के उपरांत फूलों के रवाना हुए। वहाँ हजारों श्रद्धालुओं के रथ पर विराजमान प्रभु जगन्नाथ,

खींचियों से बात करते हुए आलोक दुबे ने कहा कि घुरती रथ यात्रा का उत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान के रथ को खींचने से सभी दुःख, दर्द और कष्ट समाप्त होते हैं और सौ यज्ञ करने के समान पुण्य की प्राप्ति की मान्यता है।

वहाँ भानू प्रताप सिंह ने कहा कि वह 25 वर्षों से भगवान जगन्नाथ के रथ को रसीदी खींचते आ रहे हैं। इसमें अलग तरह की अनुरूपता होती है, आत्मविश्वास पनपता है। श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, समर्पण और अहंकार मुक्त रथ यात्रा के पावन पुण्य से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, वश, कीर्ति और आरोग्य स्थापित होने की प्राप्ति से कामना करता हूँ।

## जरियागढ़ में महाप्रभु की पूजा-अर्चना की गयी

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। जरियागढ़ में पांचरिक तरीके से धूमधाम के साथ महाप्रभु जगन्नाथ की घुरती रथ यात्रा सम्पन्न हुई। भगवान बलभद्र, माता शुभद्रा और जगन्नाथ महाप्रभु मौरीबाड़ी से जरियागढ़ स्थित गढ़ आये। जरियागढ़ के बर्तमान ठाकुर जयेन्द्र नाथ शाहदेव के साथ-साथ लाल शुभेन्द्र नाथ शाह देव, कुमार नरनंद नाथ शाहदेव, कुमार यशराज नाथ



शाहदेव और राजपरिवार के अन्य सदस्य एवं पुरोहित बसंत सारंगी, पुजारी रवि मिश्रा, शिशिर झा एवं ग्रामवासियों ने भक्ति भाव से महाप्रभु की पूजा अर्चना की। गढ़ में पूजा होने के पश्चात वास्तव भगवान के विग्रह को जयकारा लगाते हुए ठाकुर जयेन्द्र नाथ शाहदेव के अगुवाई में भाव विभोर ग्रामवासी, पंडित, पुरोहित एवं राजपरिवार के सदस्य महाप्रभु को मदन मोहन गुड़ी ले गये।

## झारखण्ड विधान सभा हूल दिवस

संदेश

संथाल हूल के महान विभूतियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि ॥

30 जून 1855 को अंग्रेजी हुक्मत के बढ़ते शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध सिद्धों, कानून, चांद, भैरों, फूलों, झानों के नेतृत्व में तत्कालीन दामिनी ए कोह वर्तमान संथाल परगना के भोगनाड़ी गांव से एक संगठित विद्रोह का शंखनाद हुआ था। संथाल विद्रोह में एक जुट्टा के साथ अंग्रेजी शासन के दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक स्वर में किए गए विरोध तथा इस महान संग्राम के तपिश और आक्रोश को हूल कहा गया। सिद्धों, कानून, चांद, भैरों, फूलों, झानों और इस विद्रोह में शहीद हुए साहसिक बलिदानियों को झारखण्ड वासियों द्वारा स्मरण करते हुए हर वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक विद्रोह में आदिवासियों और मूल वासियों ने ब्रिटिश हुक्मत के विरुद्ध जगल और जमीन पर अपने अधिकार स्थापित करने के लिए जिस प्रकार सर्वस्व न्योछावर किया था। कालांतर में अंग्रेजी पराधीनता के खिलाफ और उत्तरवर्ती आंदोलनों के लिए भी संथाल हूल समाज में शोषण, उत्पीड़न तथा पलायन के विरुद्ध संगठित होकर एवं चरणबद्ध ढंग से आंदोलन के लिए हमें प्रेरणा दी है।



रबीन्द्र नाथ महतो  
अध्यक्ष,  
झारखण्ड विधानसभा, रांची

झारखण्ड पुलिस के पांच डीएसपी समेत 15 पदाधिकारी ट्रेनिंग में फेल रांची (आजाद सिपाही)। झारखण्ड पुलिस अकादमी हजारीबाग में सीधी नियुक्ति से नियुक्त हुए डीएसपी, जिला कमांडेंट होमगार्ड, प्रोवेशन पदाधिकारी और कारा अधीक्षक का 16 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रशिक्षण आयोजित कराया गया था। इसमें कुल 71 प्रशिक्षु पदाधिकारी शामिल हुए थे, जिनमें से 56 पदाधिकारी ट्रेनिंग में पास हुए, जबकि 15 पदाधिकारी इस प्रशिक्षण में फेल हो गये। इनमें पांच डीएसपी भी शामिल हैं।

## हूल दिवस

पर पाकुड़ समेत समस्त  
झारखण्डवासियों  
को हार्दिक  
शुभकामनाएं



एक शुभविंतक  
पाकुड़, झारखण्ड



सी. पी. राधाकृष्णन  
राज्यपाल, झारखण्ड

हेमन्त सोदेन  
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

अंग्रेजी हुक्मत  
के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक

## हूल दिवस

पर सिदो-कानून, चांद-भैरव और  
फूलों-झानो सहित सभी बीर शहीदों को  
शत-शत नमन

आइए हम सभी मिलकर बीर शहीदों के सपनों का संगृह और साक्ष झारखण्ड बनाएं





# संपादकीय

## क्रिकेट में नस्लवाद

इंसियान क्रिकेट में नस्लवादी पूर्वग्रहों और भेदभाव की परिपाठी को लेकर आई हालिया रिपोर्ट दुनिया भर में खेल के बायर से बाहर भी लोगों का ध्यान खींच रही है। मार्च 2021 में इंडिलैंड एं वेस्ट इंडिया क्रिकेट टीम (ईसीबी) ने इंडिपेंडेंट कमिशन कार्यपालिका इन क्रिकेट गठित करके इस दिशा में जांच-पढ़ाता की प्रक्रिया शुरू करवाई कि उसके यहां क्रिकेट जगत में नस्लवादी प्रवृत्तियों का कितना असर है। इस कमिशन ने व्याक जांच-पढ़ाता के बाद 317 पन्थों की जो रिपोर्ट दी है, उसे इंग्लिश क्रिकेट के लिए शर्मनाक बताया जा रहा है। कमिशन ने कहा है कि यह महज कुछ सड़े सेवों का मामला नहीं है। समस्या की जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक नस्लवादी पूर्वग्रहों के प्रमाण तो हर सर पर मिलते ही हैं—एशियाई और अफ्रीकी मूल के खिलाड़ियों को तरह-तरह के किफारों का समान करना पड़ता है—लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। नस्लभेद के साथ ही वर्ग और लिंग आधारित पश्चात के भी प्रमाण कमिशन को बड़े पैमाने पर मिलते हैं। निम्न तथा मध्यमयोगी पृष्ठभूमि वाले खिलाड़ियों और महिलाओं को इसका दंश झेलना पड़ता है। खासकर महिला खिलाड़ियों के साथ तो पुरुष खिलाड़ियों के मुकाबले कम सुविधाएं और कम परिश्रमिक जैसे मसले भी हैं। ये तमाम बुराइयाँ इंग्लिश क्रिकेट में पहले से रही हैं, लेकिन ये दबी-ढकों अवश्य में थीं। कमिशन की रिपोर्ट ने इसकी

मौजूदी स्पष्टीकरण कर दी है। इस बजाए से इंग्लिश क्रिकेट पर उंगलियां भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि वह रिपोर्ट अपने आप समने नहीं आती है।

ईसीबी ने कमिशन का गठन कर अपने अंतर की बुराइयों को देखने, समझने,

स्वीकार करने और फिर उनसे मुक्त होने की जिस भावना का परिवर्त दिया, वह निश्चित रूप से काबिल तरीफ है। रिपोर्ट अपने के बाद ईसीबी ने समय रहने पश्चात और भेदभाव पर काबू कर पाने में अपनी नाकामी के लिए स्पष्ट तौर पर उन सबसे मानी मांगी है, जिन्हें किसी रूप में इसका शिकायत होना पड़ा। साथ ही उनसे कहा है कि कमिशन की रिपोर्ट में दी गयी 44 सिफारिशों को तीन महीने के अंदर लागू किया जायेगा। निश्चित रूप से इस तौर पर नहर रखी जानी चाहिए कि ईसीबी अपने इस तौर पर किस हत कायम रहता है और उसके द्वारा उठाये गये कदमों की बदौलत जीपीन पर हालात कहा तक बदलते हैं, लेकिन चाहे नस्लवाद हो या लिंग, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर होने वाले अन्य भेदभाव, दूसरे क्रिकेट बोर्ड इनसे पूरी तरह मुक्त होंगे, ऐसा मानने की कोई ठोस वजह नहीं है। चूंकि ये बुराइयां समाज में अलग-अलग रूपों में नज़र आती हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि क्रिकेट भी इनसे अछूत नहीं होता बेहतर होगा कि अन्य क्रिकेट बोर्ड भी इनकी पहचान करके इनसे मुक्त होने की प्रक्रिया अपनी तरफ से और जल्द जाने वाले शुरू करें।

## अभिमत आजाद सिपाही

संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि विवाह और भरण-पोषण से जुड़े मानलों का संबंध किसी पूजा पद्धति से नहीं है, बल्कि इसका संबंध इंसानियत से है। निस्संतान व्यक्ति यदि किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी बात की बात की गयी है, तो उसके बाद वह अपने आप समाज के साथ बहस करने की बात की गयी है। इसका बाबा और भाऊ का कानून बनाने की बात की गयी है। इसका बाबा और भाऊ का कानून बनाने की बात की गयी है।

# सभी नागरिकों के हक में है समान नागरिक संहिता

## प्रो हरबंश दीक्षित

संविधान का अनुच्छेद-44 सबसे अधिक दुष्प्रचारित हिस्सों में से एक है। इसके उपर्युक्त के साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात की गयी है। सरकार से अपेक्षा की गयी है कि वह पथ, क्षेत्र और भाषा से संबंधित बंटवारा करने वाले आधारों के परवाह किये बगैर सभी के लिए एक जैसा कानून बनाये। ऐसी व्यवस्था बनाये जो मानवीय गरिमा का सम्मान करती हो, उसे सुक्ष्म बोध दे और सच्च समाज के मानकों पर खरी उतर।

दुर्भाग्यवश अनुच्छेद-44 की विवित प्रमाण को आगे बढ़ाने की बजाय उसको हमें अपनी फिरतर के मुताबिक एक हौवा बना दिया। उस पर ताकिंक बहस करने की बजाय उसे साम्प्रदायिक रूप देकर अछूत बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का आग्रह बेकर गया। अदालत के निर्देशों की हेठी की गयी है। यह दस्तूर आज भी कायम है। वैसे तो हमारे देश में अधिकार मामलों में एक जैसा कानून लागू होता है। जिसीने की

खरीद-फरोख, किरायेदारी और दीगर दीवानी मामलों में आजादी के पहले से ही एक जैसा कानून लागू होता है, लेकिन विवाह, उत्तराधिकार, वसीयत दत्क ग्रहण जैसे मामलों में आजादी के पहले से ही अलग-अलग संप्रदायों के लिए अलग कानून रहे हैं।

संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि विवाह और भरण-पोषण से जुड़े मामलों का संबंध किसी पूजा पद्धति की अवमानना कैसे हो सकती है।

यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने वाय पति के नाराज होने के बाद उसे दर-बदर भटकने की बजाय यह गुजरे-भरे की व्यवस्था को जाती होती है। तो इसमें उसका धर्म कहां से आड़े आता है। महिला-पुरुष के वैवाहिक सम्बन्धों में यह समानता सुनिश्चित की जाती है तो इससे किसी भी सभ्य समाज के लिए शारीरिक सुनिश्चित की जाती है। संतान को गोद लेने के पहले से ही योजना नहीं, अपितु गर्व होना चाहिए।

आजादी के बाद इस दिशा में सकारात्मक पहल की गयी। समानता



हैनानी की बात यह है कि शाहबानों के जिस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से इस दिशा में आगे बढ़ने की पहल का आह्वान किया, उसके दुष्प्राप्त ने समान नागरिक कानून की पहल को सबसे मर्मांतक घोट पहुंचाया। परिणाम इसका ठीक उलटा हुआ। इसे मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखलअंदाजी के रूप में प्रचारित किया गया।

किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी वर्ष परिषप्ता को आगे बढ़ाना चाहता है या उससे उसको सुरक्षा बोध का अहसास होता है, तो उससे किसी पूजा पद्धति की अवमानना कैसे हो सकती है।

यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने वाय पति के नाराज होने के बाद उसे दर-बदर भटकने की बजाय यह गुजरे-भरे की व्यवस्था को जाती होती है। तो इसमें उसका धर्म कहां से आड़े आता है। महिला-पुरुष के वैवाहिक सम्बन्धों में यह समानता सुनिश्चित की जाती है तो इससे किसी भी सभ्य समाज के लिए शारीरिक सुनिश्चित की जाती है। संतान को गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं को अधिकार देने की परम्परा की शुरूआत हुई। संतान को गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं को अधिकार देने की परम्परा की शुरूआत हुई।

यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने वाय पति के नाराज होने के बाद उसे दर-बदर भटकने की बजाय यह गुजरे-भरे की व्यवस्था को जाती होती है। तो इसमें उसका धर्म कहां से आड़े आता है। महिला-पुरुष के वैवाहिक सम्बन्धों में यह समानता सुनिश्चित की जाती है तो इससे किसी भी सभ्य समाज के लिए शारीरिक सुनिश्चित की जाती है। संतान को गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं को अधिकार देने की परम्परा की शुरूआत हुई।

यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने वाय पति के नाराज होने के बाद उसे दर-बदर भटकने की बजाय यह गुजरे-भरे की व्यवस्था को जाती होती है। तो इसमें उसका धर्म कहां से आड़े आता है। महिला-पुरुष के वैवाहिक सम्बन्धों में यह समानता सुनिश्चित की जाती है तो इससे किसी भी सभ्य समाज के लिए शारीरिक सुनिश्चित की जाती है। संतान को गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं को अधिकार देने की परम्परा की शुरूआत हुई।

यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने वाय पति के नाराज होने के बाद उसे दर-बदर भटकने की बजाय यह गुजरे-भरे की व्यवस्था को जाती होती है। तो इसमें उसका धर्म कहां से आड़े आता है। महिला-पुरुष के वैवाहिक सम्बन्धों में यह समानता सुनिश्चित की जाती है तो इससे किसी भी सभ्य समाज के लिए शारीरिक सुनिश्चित की जाती है। संतान को गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं को अधिकार देने की परम्परा की शुरूआत हुई।

यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने वाय पति के नाराज होने के बाद उसे दर-बदर भटकने की बजाय यह गुजरे-भरे की व्यवस्था को जाती होती है। तो इसमें उसका धर्म कहां से आड़े आता है। महिला-पुरुष के वैवाहिक सम्बन्धों में यह समानता सुनिश्चित की जाती है तो इससे किसी भी सभ्य समाज के लिए शारीरिक सुनिश्चित की जाती है। संतान को गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं को अधिकार देने की परम्परा की शुरूआत हुई।

यदि किसी कानून से क











